

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

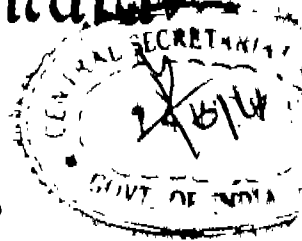
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 238]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 13, 1972/भाद्र 22, 1894

No. 238]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 13, 1972/BHADRA 22, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह छलन संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September 1972

G.S.R. 410(E).—Where certain draft rules further to amend the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957, were published as required by sub-section (1) of section 38 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), at pages 881 to 883 of the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 13th July, 1972, under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment), No. G.S.R. 340(E), dated the 13th July, 1972, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby for a period of thirty days from the date of publication of the said notification in the Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 2nd August, 1972;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said draft;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 38 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957, namely:—

1. These rules may be called the Industrial Disputes (Central) Second Amendment Rules, 1972.

2. In the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957, (i) for rule 76, the following rule shall be substituted, namely:—

“76. *Notice of retrenchment.*—If any employer desires to retrench any workman employed in his industrial establishment who has been in continuous service for not less than one year under him (hereinafter referred to as ‘workman’ in this rule and in rules 77 and 78), he shall give notice of such retrenchment as in Form P to the Central Government, the Regional Labour Commissioner (Central) and Assistant Labour Commissioner (Central) and the Employment Exchange concerned and such notice shall be served on that Government, the Regional Labour Commissioner (Central), the Assistant Labour Commissioner (Central), and the Employment Exchange concerned, by registered post in the following manner:—

- (a) where notice is given to the workman, notice of retrenchment shall be sent within three days from the date on which notice is given to the workman;
- (b) where no notice is given to the workman and he is paid one month’s wages in lieu thereof, notice of retrenchment shall be sent within three days from the date on which such wages are paid; and
- (c) where retrenchment is carried out under an agreement which specifies a date for the termination of service, notice of retrenchment shall be sent so as to reach the Central Government, the Regional Labour Commissioner, (Central), the Assistant Labour Commissioner (Central), and the Employment Exchange concerned, at least one month before such date:

Provided that if the date of termination of service agreed upon is within 30 days of the agreement, the notice of retrenchment shall be sent to the Central Government the Regional Labour Commissioner (Central), the Assistant Labour Commissioner (Central), and the Employment Exchange concerned, within 3 days of the agreement.

76A. *Notice of closure.*—If an employer intends to close down an undertaking, he shall give notice of such closure in Form Q to the Central Government, the Regional Labour Commissioner (Central), the Assistant Labour Commissioner (Central), and the Employment Exchange concerned, by registered posts”;

(ii) in the Schedule,—

(a) in Form P, in Annexe, after the entry “(2) Regional Labour Commissioner (Central),.....Zone.” the following entry shall be inserted, namely:—

“(3) Employment Officer, Employment Exchange.....
(enter the full address of the Employment Exchange concerned).”;

(b) After Form P, the following Form shall be inserted, namely:—

"FORM Q

(See rule 76A)

Form of notice of closure to be given by an employer under section 25 FFA of the Industrial Disputes Act, 1947.

Name of employer.....Address.....

Dated the.....day of.....19....

To

The Secretary to the Government of India,
Department of Labour and Employment,
New Delhi.

Sir,

Under section 25 FFA of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), I/We hereby inform you that I/We have decided to close down.....
(name of the undertaking) with effect from.....for the
reasons explained in the annexure. The number of workmen whose services would be terminated on account of the closure of the undertaking is.....
(number of workmen).

Yours faithfully,
**

** (Here insert the position which the person who signs this letter holds with the employer issuing this letter).

ANNEXURE

Statement of reasons

Copy to:—

- (1) The Regional Labour Commissioner (Central).....
- (2) The Assistant Labour Commissioner (Central).....
- (3) The Employment Exchange.....*

*(here enter the office address of the Regional Labour Commissioner (Central)/ Assistant Labour Commissioner (Central) and the Employment Exchange in the local area concerned.)".

[No. F.S.65012/6/71-LR.I.]

S. S. SAHASRANAMAN, Under Secy.

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मितम्बर, 1972

सा० का० नि० 410 (अ).—यतः औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, 1957 में और आगे संशोधन करने के लिये कतिपय प्रारूप नियम औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 38 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i), तारीख 13 जुलाई, 1972 के पृष्ठ 881 से 883 पर भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 340(ड), तारीख 13 जुलाई, 1972 के अन्तर्गत उनसे सम्भाव्यतः प्रभावी होने वाले सभी व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की अवधि में आक्षेप या सुझाव आमंत्रित करते हुये, प्रकाशित किये गये थे ;

और यतः उक्त राजपत्र जनता को 2 अगस्त, 1972 को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और यतः उक्त प्रारूप पर जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुये हैं ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, 1957 में और आगे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) द्वितीय संशोधन नियम, 1972 हैं ।

2. औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, 1967 में,

(1) नियम 76 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“76. छंटनी की सूचना :—

यदि कोई नियोजक अपने औद्योगिक संस्थान में नियोजित किसी ऐसे कर्मकार की छंटनी करना चाहता है जो कि उसके अधीन एक वर्ष से अन्यून तक लगातार सेवा में रहा है (जिसे इस नियम में और नियम 77 और 78 में इसके पश्चात् “कर्मकार” कहा गया है), वह ऐसी छंटनी की सूचना प्रारूप ‘त’ में केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) तथा सम्बन्धित रोजगार कार्यालय को देगा और ऐसी सूचना उस सरकार को, प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) तथा सम्बन्धित रोजगार कार्यालय को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा निम्नलिखित रीति से तामील की जाएगी :—

(क) जहां कि कर्मकार को सूचना दी जाती है वहां छंटनी की सूचना उस तारीख से तीन दिन के भीतर भेजी जायेगी जिसको कि कर्मकार को सूचना दी गई हो ।

(ख) जहां कि कार्यकार को कोई सूचना नहीं दी जाती है और उसके बदले में उसे एक मास की मजदूरी दी जाती है वहां, छंटनी की सूचना उस तारीख से तीन दिन के भीतर जी जायेगी जिसको कि ऐसी मजदूरी दी गई है, और

(ग) जहां कि छंटनी किसी ऐसे करार के अधीन कार्यान्वित की जाती है जो कि सेवा के पर्यवसान के लिये कोई तारीख विनिर्दिष्ट करता है वहां छंटनी की सूचना इस प्रकार भेजी जायेगी कि वह केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) तथा सम्बन्धित रोजगार कार्यालय को उस तारीख से कम से कम एक मास पूर्व पहुंच जायें :

परन्तु यदि सेवा के पर्यवसान की वह तारीख जिस पर सहमति हुई है करार के तीस दिन के भीतर पड़ती है तो छंटनी की सूचना केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) तथा सम्बन्धित रोजगार कार्यालय को करार के तीन दिन के भीतर भेजी जाएगी

76क. बन्द करने की सूचना :—

यदि कोई नियोजक किसी उपक्रम को बन्द करना चाहता है तो वह ऐसे बन्द करने की सूचना प्ररूप “थ” में केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) तथा सम्बन्धित रोजगार कार्यालय को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा देगा ।”

(11) अनुसूची में,—

(क) प्ररूप त में, उपाबन्ध में,

“(2) प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय),..... परिक्षेत्” प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(3) रोजगार अधिकारी, रोजगार कार्यालय,.....(सम्बन्धित रोजगार कार्यालय का पूरा पता लिखें)” ।

(ख) प्ररूप त के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

प्ररूप थ

(नियम 76क देखिये)

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 चक के अधीन नियोजकों द्वारा बन्द किये जाने की सूचना का प्ररूप ।

नियोजक का नाम

पता

तारीख 19..... के दिन

सेवा में,

सचिव,
भारत सरकार,
श्रम और रोजगार विभाग
नई दिल्ली ।

महोदय,

श्रीद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 25चचक के अधीन में, हम एतद्वारा आपको सूचित करता हूँ/करते हैं, कि मैंने/हमने.....
(उपक्रम का नाम) को..... तारीख के उपाबन्ध में स्पष्ट किए गए कारणों से बन्द करने का निश्चय किया है । उपक्रम के बन्द किये जाने के कारण ऐसे कर्मकारों की, जिनकी सेवायें पर्यवसित की जायेंगी, संख्या
(कर्मकारों की संख्या) है ।

भवदीय :

यहां उस व्यक्ति का जो पत्र पर हस्ताक्षर, करता है, वह पद भरे जो वह पत्र जारी करने वाले नियोजक के पास धारण करता है) ।

उपाबन्ध

कारणों का विवरण

सेवा में.....

- (1) प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)†
- (2) सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)†
- (3) रोजगार कार्यालय, ...

† (यहां प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)/सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) तथा सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्र रोजगार कार्यालय का कार्यालय पता लिखें) ।

[सं० एफ० एस० 65012/6/71-एल० आर०-1]

एस० एम० सहस्रनामन, अवसर सचिव ।